सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. कोल इंडिया लिमिटेड

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) निजी कोयला खानों को सरकार के स्वामित्व में लेते हुए एक संगठित राज्य स्वामित्व वाले कोयला खनन कार्पोरेट के रूप में नवम्बर, 1975 में अस्तित्व में आई थी। 79 मिलियन टन के कम उत्पादन से सीआईएल आज विश्व में एक सबसे बड़ी कोयला उत्पादक बन गई है।

सीआईएल, खान से बाजार तक सर्वोत्तम पद्धतियों के जरिए, पर्यावरण की दृष्टि से और सामाजिक तौर पर सतत वृद्धि प्राप्त करते हुए प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक कंपनी के रूप में उभरने के लिए एक समग्र योजना के दायरे के भीतर कार्य करती है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के प्रमुख अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं। उनकी सहायता के लिए पांच कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध), निदेशक (वित्त), निदेशक (विपणन) और निदेशक(व्यापार विकास) हैं। प्रत्येक सहायक कंपनियों के अपने निदेशक मंडल हैं जिनके प्रमुख अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं और जिसमें उनकी सहायता कार्यात्मक निदेशक करते हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल में कुछ अंश–कालिक अथवा मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

सीआईएल (समेकित) ने 2024–25 की पहली तिमाही 01.04.2024 से 30.09.2024 तक 91,961.49 करोड़ रु. की सकल बिक्री प्राप्त की और 60,441.43 करोड़ रु. की निवल बिक्री हुई। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024–25 में दिसंबर, 2024 तक रॉयल्टी, जीएसटी, जीएसटी मुआवजा उपकर, उपकर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ), नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एनएमईटी) और अन्य लेवी के लिए 44,018.26 करोड़ रु. का भुगतान/समायोजन किया है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, सीआईएल ने प्रत्येक के लिए पूर्णतः प्रदत 10 रु. की फेस वैल्यू के लिए प्रति शेयर 15.75 रु. की दर पर 9,706.30 करोड़ रु. की अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। उपर्युक्त कुल अंतरिम लाभांश में से, भारत सरकार का शेयर 6,127.91 करोड़ रु. था। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 5.00 रु. के अंतिम लाभांश का भुगतान वित्त वर्ष 2024–25 में किया गया था जिसकी राशि 3,081.36 करोड़ रू. थी और भारत सरकार का शेयर 1,945.37 करोड़ रू. था। वित्त वर्ष 2024–25 में भारत सरकार को 8,073.28 का कुल लाभांश का भुगतान किया गया था।

2. वर्ष 2024–25 में उपलब्धियां (नवंबर, 2024 तक–अनंतिम)

सीआईएल ने नवंबर, 24 माह में 67.18 मि.ट. कोयले के उच्चतम उत्पादन पर समाप्त किया, जो स्थापना के बाद से नवंबर का सबसे अधिक उत्पादन है, जो एक वर्ष पहले इसी माह 66.03 मि.ट. की तुलना में 1.7% की वृद्धि दर्ज करता है।

अप्रैल'24–नवंबर'24 के दौरान, सीआईएल ने क्रमशः 498.05 मि.ट. और 1244.76 एमसीयूएम के यथानुपात एएपी लक्ष्य के मुकाबले 470.98 मि.ट. कोयला उत्पादन और 1238.68 एमसीयूएम ओबीआर हासिल किया। प्रो–राटा एएपी लक्ष्य के खिलाफ उपलब्धि 94.6% और 99.5% थी और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि अप्रैल'24–नवंबर'24 के दौरान कोयला उत्पादन और ओबीआर के लिए क्रमशः 2.4% और 4.1% थी। डब्ल्यूसीएल और एमसीएल कोयला उत्पादन के अपने प्रो–राटा प्रगतिशील एएपी लक्ष्य से आगे हैं और ईसीएल, बीसीसीएल, एसईसीएल और एमसीएल ओबीआर के अपने प्रो–राटा प्रगतिशील आप लक्ष्य से

आगे हैं। डब्ल्यूसीएल को छोड़कर सभी सहायक कंपनियां अप्रैल'24–नवंबर'24 के दौरान ओबी हटाने में सकारात्मक वृद्धि में हैं।

3. सीआईएल में परिवर्तनकारी मानव संसाधन (एचआर) पहलः

सीआईएल ने अन्यों के साथ–साथ निम्नलिखित मानव संसाधन परिवर्तनकारी पहल की हैं:–

एचआर नियमावली को अद्यतित और अनुरक्षित करना

सीआईएल कार्यकारी एचआर मैनुअल – कार्यकारी मानव संसाधन नियमों और नीतियों के सारांश को लगातार अद्यतित किया गया है और इसे सीआईएल की वेबसाइट में माननीय कोयला मंत्री द्वारा 01.11.2020 को लॉन्च करने के बाद से प्रत्येक महीने की 1 तारीख को प्रकाशित किया गया है। यह अब एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है जो न केवल नियमों और नीतियों के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा बल्कि अधिकारियों के मानव संसाधन से संबंधित सभी मामलों से निपटने में खुलापन और पारदर्शिता भी पैदा करेगा।

3.1 एचआर नीतियों/नियमों की समीक्षा

एक सतत प्रक्रिया के रूप में, सीआईएल की मानव संसाधन नीतियों/नियमों को अन्य सीपीएसई, सरकारी दिशानिर्देशों और संगठन की समकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुधारने हेतु अन्य सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बेंचमार्क निर्धारित किया गया है। इस उपयोग के तहत, चालू वर्ष में लगभग 3 नई नीतियां/नियम बनाए गए हैं और 39 मौजूदा नीतियों/नियमों को संशोधित किया गया है तथा एकरूपता लाने के लिए 17 से अधिक नीतिगत स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। कुछ नीतियां और नियम संशोधन, तैयारी और प्रकिया के अधीन है। प्रमुख नीतियों / नियमों में सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना, भर्ती नियम, संवर्ग योजनाएं, चिकित्सा उपस्थिति नियम, और अनुकंपा रोजगार से संबंधित प्रावधान, पार्श्व भर्ती से संबंधित प्रावधान, टीए/डीए नियमों में संशोधन, निष्पादन और प्रबंधन प्रणाली में एसपीएआरआरओडब्ल्यू आदि शामिल हैं।

3.2 सीआईएल के लोगों का कार्य निष्पादन

कर्मचारी भारत में कोयला खनन के केंद्रीय विषय हैं और सीआईएल में लोगों की प्रक्रियाओं में न केवल कंपनी के प्रचालनों की मूल्य श्रृंखला में कई हितधारक शामिल हैं, बल्कि ऐसे प्रचालनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग भी शामिल हैं। कई हितधारकों में कंपनी के स्वयं के कर्मचारी और उनके परिवार, लगभग 107626 ठेका कामगार, कोलफील्ड्स के आसपास के ग्रामीण, सहायक उद्योग, कोलफील्ड्स आदि में प्रचालनरत सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। कोल इंडिया लिमिटेड एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के साथ, सभी हितधारकों के लिए पूर्ण रुप से प्रतिबद्ध है और उपयुक्त विकास के लिए अपने लोगों, नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित होते हुए कंपनी के हितधारकों की बदलती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

3.3 जनशक्ति

दिनांक 01.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार सीआईएल की अपनी सहायक कंपनियों सहित कुल जनशक्ति 2,22,692 हैं। जनशक्ति की कंपनी–वार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कंपनी	01.04.2023 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.04.2024 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.01.2025 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति
1	ईसीएल	51074	48711	47678
2	बीसीसीएल	37037	33920	32599
3	सीसीएल	34975	33990	33420
4	डब्ल्यूसीएल	34390	33352	32442
5	एसईसीएल	41832	39528	37959
6	एमसीएल	21827	21493	21184

क्र.सं.	कंपनी	01.04.2023 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.04.2024 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.01.2025 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति
7	एनसीएल	13753	13770	13466
8	एनईसी	667	585	558
9	सीएमपीडीआई	2855	2751	2738
10	डीसीसी	133	113	डीसीसी की श्रमशक्ति एसईसीएल के आंकड़े में शामिल
11	सीआईएल (मुख्यालय)	667	648	648
	कुल	**239210**	**228861**	**222692**

3.4 कर्मचारी कल्याण

कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करती है। समाज के सभी वर्गों जैसे– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों के साथ–साथ समाज के अन्य हाशिए के वर्गों को बिना किसी भेदभाव के जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे नीचे दी गई हैं: –

3.5. आवासीय सुविधाएं:

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में, सभी पात्र कर्मचारियों को उपलब्धता और कंपनी नियमों के अध्यधीन कंपनी क्वार्टर प्रदान किए जाते हैं। हमारे कर्मचारियों को उचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए इन आवासों की पूरी मरम्मत करने के साथ–साथ नियमित रूप से इनकी मरम्मत और देख–रेख की जाती है। **सीआईएल में कुल 2,86,138 क्वार्टर हैं।**

3.6 जल आपूर्ति

कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई जलापूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं। पानी की आपूर्ति उचित उपचार के बाद की जाती है और कई आरओ प्लांट / प्रेशर फिल्टर प्लांट भी कोलफील्डस में मौजूद हैं जो न केवल हमारे कर्मचारियों को बल्कि पड़ोस की आबादी को भी पूरा करते हैं।

3.7 शैक्षिक सुविधाएं

सीआईएल की सहायक कंपनियां कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु खनन क्षेत्रों में स्कूल चलाने वालों जैसे कि डीएवी, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करती रही हैं। परियोजना स्कूल के तहत कुल 67 स्कूल सीआईएल द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित हैं, 12 स्कूलों को सामयिक अनुदान प्राप्त होता है, और 26 स्कूलों को बुनियादी ढांचे के समर्थन के साथ प्रदान किया जाता है।

3.8 कोल इंडिया छात्रवृति योजना:

निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के तहत कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रत्येक वर्ष दो प्रकार की छात्रवृति अर्थात् योग्यता एवं सामान्य छात्रवृति प्रदान की जा रही है।

क) मेरिट स्कॉलरशिप में, माध्यमिक / उच्च माध्यमिक या किसी राज्य बोर्ड में पहली से बीसवीं पॉजिशन प्राप्त करने वाले या आईसीएसई, सीबीएसई/आईएससी परीक्षा (कक्षा–दस और बारहवीं) में 95% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है।

निर्धारित प्रतिशत अंकों के अधीन किसी भी विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर तक कक्षा–V से आगे पढ़ने वाले छात्रों को सामान्य छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

ख. **नकद पुरस्कार और प्रशस्ति प्रमाण पत्र:** प्रत्येक वर्ष सीआईएल कर्मचारियों के उन प्रतिभाशाली बच्चों को क्रमशः 5000 रु. और 7000 रु. के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं जो 10वीं और 12वीं स्तर की बोर्ड स्तरीय परीक्षा में 90% अथवा इससे अधिक कुल अंक प्राप्त करते हैं।

देश में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया लिमिटेड वेतन बोर्ड के कर्मचारियों के आश्रित बच्चों की शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क तक आईआईटी में इंजीनियरिंग/ मेडिकल की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

3.9. चिकित्सा सुविधाएं

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां कोलफील्ड्स के विभिन्न भागों में औषधालयों के स्तर से केंद्रीय एवं शीर्ष अस्पतालों तक विभिन्न चिकित्सा प्रतिष्ठानों के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ा रही हैं। सीआईएल में कुल 320 डिस्पेंसरी, 1,042 डॉक्टर, 505 एम्बुलेंस, 64 अस्पताल, 4065 बेड और 2 मोबाइल वैन हैं।

विशेष उपचार जिनके लिए विशेषज्ञता/सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाहर उपचार हेतु पैनलबद्ध अस्पतालों में रैफर भी किया जाता है।

रोगियों को अस्पतालों तक पंहुचाने हेतु, संपूर्ण कोलफील्ड्स में केन्द्रीय स्थानों पर नवीनतम प्रौद्योगिकी और जीवन सहायता सिस्टम के साथ एम्बुलेंस प्रदान की जाती है।

3.10. सांविधिक कल्याण सुविधाएं

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों एवं इनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार, कोयला खानों के लिए विभिन्न सांवंधिक कल्याण सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, रेस्ट शेल्टर्स आदि चला रही हैं। सीआईएल में कुल 364 कैंटीन, 19 क्रेच, 143 पिट हेड बाथ और 526 रेस्ट शेल्टर प्रदान किए गए हैं।

3.11 गैर–सांविधिक कल्याण उपाय

क. सहकारी भंडार और ऋण समितियां

कोलियरीज में आवश्यक वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सस्ती दर पर करने के लिए, सीआईएल के कोलफील्ड क्षेत्रों में केंद्रीय सहकारी और प्राथमिक सहकारी भंडार कार्यरत हैं। इसके अलावा, कोयला कंपनियों में सहकारी ऋण समितियां भी कार्यरत हैं। सीआईएल में कुल 24 केंद्रीय सहकारी समितियां, 108 प्राथमिक सहकारी समितियां, 138 क्रेडिट समितियां उपलब्ध हैं।

ख. बैंकिंग सुविधाएं और डाक घर

कोयला कंपनियों के प्रबंधन अपने कामगारों के लाभार्थ कोलफील्ड्स में अपनी शाखाएं और एक्सटेंशन काउंटर खोलने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को अवसंरचना सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इसी प्रकार, आवासीय कॉलोनियों के पास सुविधाएं देने के लिए प्रोत्साहित करके डाकघरों को कामगारों के निकट लाने के प्रयास किए गए हैं। सीआईएल में कुल 332 बैंक शाखाएं, 35 एक्सटेंशन काउंटर, 05 सैटेलाइट बैंक शाखाएं उपलब्ध हैं।

ग. होलिडे–होम्स

कोल इंडिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लाभ के लिए मामूली लागत पर पर्यटन के आकर्षक स्थानों पर होलिडे–होम्स की सुविधाएं प्रदान करती है। ये सुविधाएं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध हैं।

घ. मनोविनोद सुविधाएं

कामगारों और उनके परिवारों की भलाई और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कामगारों की आवासीय कॉलोनियों के पास मनोविनोद तथा खेल सुविधाएं हैं।

ड. खेल

खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कोल इंडिया में पश्चिम बंगाल सोसायटी के पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत निकाय कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोशिएशन (सीआईएसपीए) के माध्यम से प्रशासित एक अनुमोदित खेल नीति है और यह एसोशियेशन अपने कोलफील्ड क्षेत्रों में भी स्पॉन्सरशिप/वित्तीय सहायता प्रदान करके खेलों और संस्कृति को स्पोर्ट करता है।

3.12 सीआईएल की कल्याण बोर्ड बैठक

कोल इंडिया का कल्याण बोर्ड कंपनी के कर्मचारियों के जीवनयापन को बेहतर करने और इसमें सुधार करने के लिए कल्याण नीतियों से संबंधित निर्णय लेने वाला मंच है।

सीआईएल के कल्याण बोर्ड के सदस्यों में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल हैं जो नियमित

रुप से कल्याण उपायों पर चर्चा तथा विभिन्न कल्याण स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है; कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रुप से की जा रही है।

3.13. कर्मचारी प्रशिक्षण

पिछले 3 वर्षों के लिए सीआईएल के कर्मचारियों की प्रशिक्षण सांख्यिकी निम्नानुसार है:

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25 (30.11.24 तक)
कार्यपालक	23351	30270	19058
गैर–कार्यपालक	72284	73550	46313
कुल	95635	103820	65225

ठेका कामगारों से संबंधित प्रशिक्षण ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	2022–23	2023–24	2024–2025 (30.11.2024 तक)
ठेका कामगार	102719	110971	106324
कुल संविदा कर्मियों को प्रशिक्षित किए गए कुल ठेका कामगार	36644	39374	29046

3.14. प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

सामान्य तौर पर, कर्मचारियों से संबंधित निर्णय कर्मचारियों और प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से लिए जाते हैं। सभी परियोजनाओं में जेसीसी, सुरक्षा समिति, आवास समिति, कल्याण समिति, कैंटीन समिति आदि जैसे द्विपक्षीय मंच कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक संबंध प्रणाली के तहत कर्मचारियों की सेवा शर्तों, कल्याण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यूनिट स्तर, क्षेत्र स्तर और कॉर्पोरेट स्तर पर आवधिक रूप से द्विपक्षीय बैठकें की जाती हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के पास एक शीर्ष द्विपक्षीय समिति (संयुक्त परामर्शदात्री समिति) है और कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। संयुक्त परामर्शदात्री समिति सामरिक महत्व के विभिन्न मुद्दों और सामान्यतः कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करती है। इन सभी द्विपक्षीय निकायों का प्रतिनिधित्व कर्मचारी के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

3.15. ठेका कामगार

कोल इंडिया लिमिटेड निकटवर्ती ग्रामवासियों के लिए रोजगार का स्रोत है। दिनांक 01.12.2024 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आउटसोर्स कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से खानों में लगभग 1,06,324 ठेका कामगारों को नियोजित किया गया है। कंपनी ठेका कामगारों के वेतन और कल्याण से जुड़े सभी विधिक एवं कंपनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। खनन गतिविधियों में नियोजित ठेका कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। ठेका कामगारों को खान क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होता है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ठेका कामगारों को कंपनी की निःशुल्क सुविधा पर चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करती है। सभी ठेका कामगारों की चिकित्सा जांच की जाती है, उन्हें सुरक्षा प्रशिक्षण दिया रहा है और निजी बचाव संबंधी उपकरण जैसे कि हेलमेट, माइनिंग शूज, डस्ट मास्क, सेफ्टी लैंप्स और अत्याधिक पानी वाली खानों में गंबूट्स और उचित हुड्स सहित रेनकोट्स दिए जाते हैं। नियमित कर्मचारियों को प्रदान की जा रही कैंटीन, रेस्ट शेलटर्स, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं आदि सुविधाओं का ठेका कामगारों द्वारा उपयोग भी किया जाता है। कंपनी ने सभी ठेका कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (सीएमपीएफ और सीएमपीएस/ईपीएफ) के तहत सफलतापूर्वक शामिल किया है। ठेका कामगारों को मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है ताकि इस विषय में किसी प्रकार के शोषण से बचा जा सके।

ठेका कामगारों (विनियमन एवं संशोधन) अधिनिमय, 1971 के अंतर्गत ठेका कामगारों के मजदूरी भुगतान एवं अन्य लाभों के अनुपालन की निगरानी करने हेतु कोल इंडिया लि. ने हाल ही में 'ठेका कामगार भुगतान प्रबंधन पोर्टल' का सृजन और प्रारंभ किया है। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों में विभिन्न ठेकेदारों द्वारा नियुक्त सभी कामगारों का बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या सहित व्यापक डाटाबेस इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यह पोर्टल सभी ठेका कामगारों के लिए उपलब्ध है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत ब्यौरों सहित मजदूरी दर एवं भुगतान की स्थिति को देख सकें।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 18 फरवरी, 2022 की अपनी राजपत्रित अधिसूचना के तहत सीआईएल की सहायक कंपनियों को एस.ओ.2063 दिनांक 21 जून, 1988 के तहत क्रम संख्या 1 से 3 में विनिर्दिष्ट (निषिद्ध) कार्यों पर ठेका कामगारों को नियुक्त करने की छूट दी है जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 07.12.2021 से पांच वर्ष के लिए प्रकाशित भारत के राजपत्र भाग–II खंड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था ।

4. एनएलसी इंडिया लिमिटेडः

विभिन्न पंजीकृत ठेकेदारों और आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से एनएलसीआईएल और इसके संयुक्त उद्यमों में लगभग 22,319 (30.11.2024 तक) संविदा कामगार तैनात हैं। ठेकेदार नियोक्ताओं को ठेकेदार नियोक्ता और एनएलसीआईएल के बीच हुए करार के अनुसार सभी सांविधिक अनुपालनों का पालन करना होता है। प्रधान नियोक्ता (अर्थात एनएलसीआईएल) सभी सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की कड़ाई से निगरानी कर रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ठेका कामगारों को मजदूरी का संवितरण केवल बैंक के माध्यम से किया जाए और उन्हें सभी सांविधिक लाभ प्रदान किए जाएं।

ठेका कामगारों को मजदूरी, ईपीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआईसी, मुआवजे का भुगतान, बोनस और अनुग्रह राशि का भुगतान, मृत्यु राहत निधि आदि जैसे निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा, कंपनी एनएलसीआईएल अस्पताल में चिकित्सा लाभ, वर्दी, क्वार्टर, हटमेंट्स के निर्माण के लिए प्लॉट, ठेका श्रमिकों को प्रदान करती है। संविदा कामगारों के बच्चों के लिए 12वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा, शैक्षिक सहायता और शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति आदि जैसी सुविधाएं कंपनी द्वारा प्रदान की जाती हैं।

5. बाल श्रम/बलात मजदूरी/ बंधुआ मजदूर

कंपनी के प्रचालनों में इसकी मूल श्रृंखला में स्वयं कंपनी द्वारा अथवा इसके स्टेकहोल्डरों द्वारा किसी भी रूप में बाल श्रम, बलात मजदूरों अथवा बंधुआ मजदूरों को नियुक्त करना वर्जित है। खानों में लगाए जाने वाले ठेका कामगारों की अनिवार्य रूप से आरंभिक चिकित्सा जांच के दौरान मॉनीटरिंग की जाती है।

6. संघ की स्वतंत्रता

कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पक्के तौर पर पालन किया जाता है। कर्मचारियों को छूट है कि वे पंजीकृत ट्रेड यूनियन और अन्य सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों के सदस्य बन सकते हैं। कोलफील्डों में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्थानीय यूनियनों की शाखाएं हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली के मानकों के अंतर्गत कंपनी के द्वि पक्षीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की अनुमति है।

7. भेदभाव न करना

कंपनी कर्मचारी प्रबंधन में भेदभाव न करने के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। धर्म, जाति, क्षेत्र, मत, लिंग, भाषा आदि के नाम पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी कर्मचारियों को सेवा मामलों में समान अवसर दिए जाते हैं।

8. संगठनात्मक संस्त निर्माण पहल

i. संगठन में शामिल होने वाले सभी नए लोगों का प्रोजेक्ट ''आगमन'' के तहत स्वागत किया जाता रहा है। सहायक कंपनियों में तैनाती से पहले, उन्हें भारतीय कोयला प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र संस्थान (आईआईसीएम)–सीआईएल का उत्कृष्टता केंद्र, रांची में अधिष्ठापन कार्यक्रम शामिल किया जाता है।

ii. सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को फेयरवेल दिया जाता है और उनके सेवानिवृत्ति बकाए का भुगतान प्रोजेक्ट ''सम्मान'' के तहत किया जाता है। अध्यक्ष, सीआईएल और सहायक कंपनियों के अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक संगठन की सफलता के लिए कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

9. निरंतर सुधार और ज्ञान प्रबंधन की पहल

ज्ञान के निरंतर साझाकरण के लिए, सभी सीपीएसई के लिए एक सामान्य ज्ञान पोर्टल ओएनजीसी के तत्वावधान में विकसित किया गया है। यह पोर्टल पीएसयू के लिए एक सामान्य पोर्टल है जिसके तहत वे अपनी विशेष उपलब्धियां, अन्य पीएसयू से सीखने की सर्वोत्तम प्रथाएं और सुविधाएं साझा

कर सकते हैं। सीआईएल समय–समय पर 'समन्वय पोर्टल' इंफो बैंक में योगदान भी देती है। कुछ सहायक कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए ई–पाठशाला और ई–गुरुकुल पोर्टल शुरु करके ज्ञान प्रबंधन की पहल भी की है, जहां कर्मचारियों द्वारा अलग तरह के अनुभव साझा किए जाते हैं।

10. जन विकास पहल निगरानी नीति

i. **उपदान**– सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी 20 लाख रुपए तक का उपदान प्राप्त करते हैं।

ii. **सीएमपीएफ**– सभी कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है जो अंशदायी निधि है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा बराबर–बराबर अंशदान किया जाता है।

iii. **कोयला खान पेंशन स्कीम (सीएमपीएस)** – सभी कर्मचारियों को कोयला खान पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत मूल वेतन की 25% राशि मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उनके आश्रित पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

iv. **सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सहायता** – सीआईएल ने कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए अपने 2.63 लाख कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना शुरु की है। कुछ शर्तों के अधीन, यह योजना गैर–कार्यपालकों तथा कार्यपालकों को साधारण मामलों मे इनडोर तथा आउटडोर इलाज के लिए क्रमशः 8 लाख रुपए और 25 लाख रु. के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करती है और हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारी तथा मस्तिष्क संबंधी विकार, एचआईवी–एड्स व सांघातिक रक्ताल्पता/ अधिवृक्क हिस्टोप्लास्मोसिस जैसी गंभीर बिमारियों और गंभीर दुर्घटनाओं तथा मस्तिष्क ज्वर के मामलों में वास्तविकता के आधार पर सहायता दी जाती है।

v. **अधिवार्षिता पेंशन योजना** – सीआईएल ने सभी बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी रूप में अधिवार्षिता लाभ देने के लिए एक अधिवार्षिता पेंशन योजना तैयार की है। इसे 01.01.2007 से कार्यान्वित किया गया है।

vi. **कर्मचारी मुआवजा** – ड्यूटी के दौरान मृत्यु/ दिव्यांगता की स्थिति में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अलावा, कम्पनी घातक खान दुर्घटना अथवा कोविड–19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में 90,000 रुपए उपदान के रुप में और 15 लाख रुपए मुआवजे के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान करती है।

vii. **जीवन बीमा योजना** – सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, कर्मचारी के आश्रित जीवन बीमा योजना के तहत 1,25,000 रु. की राशि प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

viii. **आश्रित सदस्य को रोजगार** – सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने/दिव्यांग होने की स्थिति में उसके आश्रितों में से कोई एक सदस्य कम्पनी में नौकरी पाने का हकदार है।

11. शिकायत निवारण तंत्र

- शिकायतों की ई–फाइलिंग के लिए, सीआईएल द्वारा पूर्व में ऑन–लाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ओएलजीएमएस। शुरू की गई थी। इसके बाद, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में आनॅलाइन शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली को केंद्रीकृत बनाने के भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुसरण में, सीआईएल ने केन्द्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को अपनाया है, जिसे कार्य दोहराव से बचने के लिए ओएलजीएमएस को चरणबद्ध करते हुए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था।

- त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारियों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें मुद्दों और प्रस्तावित

समाधानों पर चर्चा की जा सकती है। शिकायतों और उनके रिस्पांस की निगरानी/समीक्षा प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों वाली शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) द्वारा साप्ताहिक आधार पर की जाती है। देरी किए बिना शिकायत के समाधान के लिए कार्रवाई की जाती है और परिणाम पोर्टल में पोस्ट किया जाता है। जहां भी अंतरिम उत्तर की जरूरत होती है, वहां शिकायतकर्ता को ऐसा उत्तर भेजा भी जाता है।

यदि शिकायतें कोयला कंपनियों से संबंधित हैं, तो नोडल अधिकारी इसे संबंधित सहायक कंपनियों को उनकी टिप्पणियों/कार्रवाई के लिए अग्रेषित करते हैं। यदि यही सीआईएल के किसी अन्य विभाग की कार्यप्रणाली से संबंधित है तो उसे संबंधित विभाग को अग्रेषित कर दिया जाता है। इस प्रकार ऑन लाइन प्राप्त शिकायतों पर सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से इनको देखा जा रहा है और शीघ्रता से इनका निपटान किया जा रहा है।

12. पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति

12.1 कोल इंडिया लिमिटेड

सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालित आरएंडआर नीतियां/योजनाएं समय के साथ विकसित हुई थीं और सीआईएल की 1994, 2000, 2008 और 2012 की आरएंडआर नीति जैसी बदलती परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में कई परिवर्तन किए गए थे। अधिकांश मामलों में, सहायक कंपनी सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत भूमि (सभी अधिकार) ले रही हैं और (एमसीएल को छोड़कर) भू–स्वामियों या उनके नामातियों को प्रत्येक दो एकड़ भूमि के लिए पैकेज डील अवधारणा या अवरोही क्रम में एक रोजगार प्रदान कर रही हैं। एमसीएल ओडिशा सरकार की आरएंडआर नीति 2006 का अनुपालन करती है और इसी नीति के तहत रोजगार अधिशासित होता है। सीआईएल की आरएंडआर नीति में लचीलेपन की शर्तें भी हैं जहां सहायक कंपनी बोर्ड को संबंधित सहायक कंपनी में प्रचलित विशिष्ट शर्तों के संदर्भ में उक्त नीति में आवश्यक संशोधन को अनुमोदन देने के लिए अधिकृत किया गया है।

अधिकांश मामलों में, सहायक कंपनियां खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए सीबीए (एएंडडी) अधिनियम 1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण कर रही हैं जो पूरी तरह खनन से संबंधित हैं। केंद्र सरकार द्वारा 28.08.2015 को आरएफसीटीएलएआरआर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश 2015 जारी करने के संदर्भ में, सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा, आरएंडआर लाभ और बुनियादी सुविधाएं आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची I, II एवं III के अनुसार उपलब्ध कराई जानी हैं। इसके बाद, कोयला मंत्रालय ने सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए इस आदेश के कार्यान्वयन के बारे में अलग–अलग स्पष्टीकरण जारी किए हैं। तदनुसार, सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के लिए आरएंडआर लाभ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार या पीएएफ द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार प्रदान किए जा रहे हैं और प्रचलित प्रथा के अनुसार रोजगार प्रदान कर रही है अर्थात प्रत्येक दो एकड़ जमीन के लिए एक रोजगार। इसके अलावा, सीआईएल बोर्ड ने 25.08.2020 को आयोजित अपनी 409 वीं बैठक में सीआईएल, 2020 की वार्षिकी योजना को अनुमोदन दिया ताकि छोटे भू–स्वामियों के साथ–साथ प्रभावित परिवार की आवश्यकता में सुधार किया जा सके जो राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा यथा प्रमाणित एक गैर–हकधारी धारक हो सकता है, जिनकी आजीविका का मूल स्रोत वह भूमि थी जिसे अधिग्रहण की तारीख से तीन वर्ष से अधिक समय पहले ही अधिग्रहित कर लिया गया था और भूमि अधिग्रहण से जिनका आय का नियमित स्रोत प्रभावित हुआ।

12.2. एनएलसी इंडिया लिमिटेड:

एनएलसीआईएल की एकीकृत परियोजनाओं के लिए भूमि की व्यापक आवश्यकता के कारण निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कानून को लागू करने की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और सेवा सुविधाओं को स्थापित करने के लिए खनन के लिए लिग्नाइट वाले इलाकों और समीपवर्ती कार्यनीतिक स्थानों में लोगों का अनैच्छिक विस्थापन होता है। एनएलसीआईएल उपर्युक्त परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवारों के पीड़ादायी अनैच्छिक पुनर्वास

के प्रति संवेदनशील है और विस्थापन के आघात को कम करने का प्रयास करता है। एनएलसीआईएल अपनी परियोजनाओं के तकनीकी–आर्थिक और सामाजिक–आर्थिक लक्ष्यों को लगातार और सचेत रूप से संतुलित कर रहा है।

एनएलसीआईएल ने आस–पास कई पुनर्वास केन्द्र (आरसी) विकसित किए हैं और इन क्षेत्रीय केन्द्रों को अच्छी अवसंरचनात्मक सुविधाएं और सुख–सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। पात्र परियोजना प्रभावित परिवारों को इन आरसी में सुचारू रूप से बसाया गया है और उपयुक्त सरकार द्वारा समय–समय पर और जिला प्रशासन के सहयोग से दिए गए निदेशानुसार परिसंपत्तियों की हानि के लिए कानूनी मुआवजे के अलावा पुनर्वास उपाय भी किए गए हैं।

एनएलसीआईएल 31.12.2013 तक अधिगृहीत भूमि के लिए परियोजना प्रभावित आबादी के लाभ के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 का अनुसरण कर रहा है। आरएंडआर प्रशासक अर्थात कुड्डालोर जिले के कलेक्टर के समन्वय से कई आर एंड आर उपायों को लागू किया गया है।

दिनांक 01.01.2014 से अधिगृहीत भूमि के लिए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की अनुसूची–I के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा, एनएलसीआईएल बोर्ड की 25.11.2022 को आयोजित 524वीं बैठक में अनुमोदन के अनुसार, 01.01.2014 से अधिग्रहित भूमि के लिए कृषि भूमि (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम प्रावधान के सभी घटकों सहित) के लिए संशोधित न्यूनतम भूमि मुआवजा 25 लाख रुपये प्रति एकड़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास स्थल भूमि के संबंध में, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में आवास स्थल भूमि के संबंध में न्यूनतम भूमि मुआवजा 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ और शहरी क्षेत्र में आवास स्थल भूमि के संबंध में 5.0 करोड़ रुपए प्रति एकड़ निर्धारित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, विस्थापित परिवारों के लिए विभिन्न आउटसोर्स किए गए कार्यों में निरंतर रोजगार अथवा एकबारगी अनुदान अथवा वार्षिकी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, विस्थापित परिवारों को उनकी आजीविका, कौशल विकास आदि के लिए निर्वाह अनुदान, परिवहन लागत और अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

13. सीआईएल में पर्यावरण की देखभाल

सीआईएल अपने व्यापार प्रचालन को शुरू करते समय समावेशी विकास के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध है। यह पर्याप्त शमन पद्धतियों के साथ कोयले का खनन करते समय पर्यावरण की देखभाल के लिए भी प्रतिबद्ध है। ऐसा करने के अपने प्रयास में, यह इस बात से परिचित है कि कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए एक सक्रिय निवारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल फुटप्रिंट्स कम से कम हों, निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

- **एकीकृत परियोजना नियोजनः** नई कोयला खनन परियोजनाओं में, पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने की योजना बनाना प्रमुख चिंताएं हैं। खनन लेआउट डिजाइन करते समय, प्रचालन के लिए संभव न्यूनतम सीमा तक भूमि (वन भूमि सहित) आवश्यकता को कम करने के लिए सावधानी बरती जा रही है। योजना बनाने में मृदा उत्खनन, संरक्षण और उद्धारित क्षेत्रों पर इसके पुनः उपयोग से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। कम उत्सर्जनों के साथ बेहतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सतही खनिकों और सतत खनिकों जैसी नवीनतम खनन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए इन–पिट क्रशिंग और बेल्ट कन्वेयर प्रणाली के साथ ओपनकास्ट खानों की योजना बनाई जाती है ताकि वायु गुणवत्ता के स्तरों में सुधार किया जा सके। उत्पादन पश्चात भूमि का श्रेष्ठ उपयोग प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए उचित सम्मान के साथ परियोजनाओं के संबंध में योजना बनाई जाती है ताकि यह स्थानीय आबादी के लिए एक परिसंपत्ति बन जाए।
- **सांविधिक मंजूरियां और उनका अनुपालनः** अपेक्षित सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने के बाद ही परियोजनाओं का प्रचालन किया जा रहा है।

विभिन्न मंजूरियों में दर्शाई गई सभी सांविधिक शर्तों का अनुपालन पूरी कर्मठता के साथ किया जा रहा है और सांविधिक एजेंसियों को समय–समय पर सूचित किया जा रहा है।

- **प्रदूषण नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयनः** सीआईएल खान योजना चरण से ही सतत खनन प्रथाओं का उपयोग और अनुसरण करके पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण के प्रमुख भौतिक और रासायनिक गुणों जैसे वायु, जल, जल भूविज्ञान, भू–कंपन, शोर, भूमि आदि की स्वीकार्य/अनुमेय सीमाओं को बनाए रखने के लिए खनन प्रचालनों के साथ–साथ विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपाय और पहलें की जा रही हैं।

क) वायु प्रदूषण और इसके नियंत्रण के उपायः

ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग और कोयला ढुलाई के दौरान धूल उत्पादन को नियंत्रित करने और कम करने के लिएए सीआईएल ने परियोजनाओं के एमओईएफएंडसीसी द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में उल्लिखित विभिन्न पहलों को शुरू किया है। ईएमपी प्रत्येक परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन करने के बाद शुरू किए गए कोयला खनन के कारण मौजूदा पर्यावरण और वन पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। वायु प्रदूषण और इसके नियंत्रण उपायों को कम करने के लिए मिस्ट स्प्रेयिंग प्रणालीए मोबाइल वॉटर स्प्रिंकलर और स्वचालित स्प्रिंकलर प्रदान किए गए हैं।

सीआईएल द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं:

i. सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई को कम करने के लिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का कार्यान्वयन।

ii. कन्वेयर, कवर किए गए ट्रकों द्वारा कोयले की ढुलाई और साइलो के माध्यम से रेलवे रेक में लोडिंग।

iii. ब्लैकटॉपिंग/कंक्रीट और कोयला ढुलाई के लिए सड़कों की मरम्मत और हॉल रोड को मजबूत करना।

iv. ट्रॉली माउंटेड और मोबाइल फॉग कैनन स्प्रिंक्लिंग प्रणाली को विनियोजित करना।

v. परिवेशी वायु गुणवत्ता की रियल टाइम की निगरानी के लिए सीएएक्यूएमएस प्रणाली की स्थापना और सीपीसीबी और एसपीसीबी सर्वर के साथ एकीकरण, जहां भी इसका प्रावधान उपलब्ध कराया गया है।

vi. परिवेशी वायु में पीएम10 सांद्रता की रियल टाइम की निगरानी के लिए पीएम10 विश्लेषकों की स्थापना करना।

vii. वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी सहायक कंपनियों में मोबाइल वॉटर स्प्रिंकलर टैंकरों और रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई गई हैं।

viii. विंड ब्रेकर सिस्टम, वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम और ग्रीन बेल्ट प्लांटेशन का विकास।

ix. ब्लास्टिंग मुक्त कोयला निष्कर्षण के लिए ओपनकास्ट और यू/जी खानों में अतिरिक्त सतही खनिकों और सतत खनिकों की तैनाती।

ख) जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

i. जहां कहीं भी और जहां तक संभव हो, खानों को जीरो डिस्चार्ज पर प्रचालित किया जाता है।

ii. माइन डिस्चार्ज वॉटर को बड़े संप में संग्रहीत किया जाता है जो जल संचयन संरचना का कार्य करता है।

iii. खान के निर्वहन के लिए, पंप किए गए खान जल को इसके निर्वहन से पहले अवसादन के माध्यम से अवशोधित किया जाता है।

iv. कार्यशालाओं में बहिस्राव अवशोधन संयंत्र (ईटीपी) स्थापित किए गए हैं।

v. रिहायशी कॉलोनियों से निकलने वाले बहिस्राव का अवशोधन पारंपरिक साधनों के साथ–साथ टाउनशिप में डेजिगनेटिड 61 सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी) के माध्यम से भी किया जाता है।

vi. निर्धारित मानकों के अनुसार बहिस्राव जल गुणवत्ता निगरानी की जाती है और परिणाम सांविधिक प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए जाते हैं।

vii. बहिस्राव जल गुणवत्ता की रियल टाइम पर निगरानी के लिए सतत जल गुणवत्ता मानीटरिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है।

viii. सीआईएल की सहायक कंपनियां प्रत्येक परियोजना के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेती हैं। एनओसी, विस्तृत जल भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट और भूजल मॉडलिंग के आधार पर प्रदान की जाती है।

ix. घरेलू और सिंचाई उद्देश्य के लिए आसपास के समुदाय हेतु पानी।

ग) खान जल प्रबंधनः

दूसरे चरण के अवशोधन के लिए सतह पर बहिस्राव खान जल के अवशोधन हेतु खानों में खान निस्तारण अवशोधन संयंत्र (एमडीटीपी) स्थापित किए जाते हैं। अवशोधित खान जल का उपयोग आंशिक रूप से धूल दमन, अग्निशमन, वृक्षारोपण, धुलाई आदि के लिए किया जाता है। स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के अनुसार, पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पास के गांवों में अवशोधित खान जल की आपूर्ति की जाती है। भूजल पर खनन गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, खान पट्टा क्षेत्र में और उसके आसपास खोदे गए कुओं और पीजोमीटर में भूजल स्तर की निगरानी की जा रही है। खान परिसरों और आसपास के गांवों के भीतर भूजल पुनर्भरण के लिए, वर्षा जल संचयन, तालाबों की खुदाई/लैगून का विकास, मौजूदा तालाबों/टैंकों आदि से गाद निकालने जैसी पहल की गई है। भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। खान, कारखाने और घरेलू बहिस्राव की नियमित निगरानी नियमानुसार की जाती है और वांछित कार्रवाई की जा रही है। इसकी रिपोर्टें नियमित रूप से एसपीसीबी और एमओईएफएंडसीसी को प्रस्तुत की जाती हैं।

घ) ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायः

ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, उपकरणों के उचित रखरखाव करने, खान और आवासीय क्षेत्र के आसपास ग्रीन बेल्ट तैयार करने, दिन के समय में ब्लास्टिंग और शोर वाले क्षेत्रों में ईयर मफ/ईयर प्लग के उपयोग करने जैसे विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं।

ङ.) खान बंद करने के दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयनः

वर्ष 2009 में कोयला मंत्रालय द्वारा खान बंद करने के दिशा–निर्देश जारी करने और इसके बाद के संशोधनों के साथ, सभी परियोजनाओं के लिए खान बंद करने की योजना (एमसीपी) तैयार, अनुमोदित और कार्यान्वित की गई है। इसके अलावा, उन कोयला खानों के प्रबंधन के लिए वर्ष 2022 में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो खानें वर्ष 2009 से पहले बंद/परित्यक्त/समाप्त हो गई हैं। एमसीपी में खान बंद करने के तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक और वित्तीय मुद्दे शामिल हैं जो खान बंद करने की क्रमिक तथा अंतिम गतिविधियों को पूरा करने के दौरान भूमि पुनरूद्धार पर जोर देते हैं। एमसीपी का कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करता है किः

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता न किया जाए
2. पर्यावरणीय संसाधन न्यूनतम भौतिक और रासायनिक गिरावट के अधीन हो
3. स्थल के खनन के बाद का उपयोग लंबी अवधि में लाभदायक और संधारणीय हो
4. सामाजिक–आर्थिक लाभों को अधिकतम करने का अवसर दिया जाए।

च) हरित पहलेंः

- खनित क्षेत्रों और बाह्य ओबी डम्पों का पुनरूद्धार सीआईएल द्वारा शुरू की जाने वाली प्रमुख पर्यावरणीय न्यूनीकरण गतिविधियां हैं। खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार एमओईएफएंडसीसी द्वारा अनुमोदित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) और कोयला मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार की गई खान समापन योजना (एमसीपी) के अनुसार किया जा रहा है। ऊपरी मिट्टी को ओपनकास्ट खानों में रोपण क्षेत्रों में परिरचित, संग्रहीत और उपयोग किया जाता है। लाभकारी भूमि उपयोग के लिए खनन किए

गए क्षेत्रों का समवर्ती पुनरूद्धार और पुनर्वास किया जाता है। तकनीकी पुनरूद्धार पूरा होने के बाद, वृक्षारोपण किया जाता है जिसे जैविक पुनरूद्धार कहा जाता है।

- सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा प्रत्येक वर्ष व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से वृक्षारोपण और ग्रीन बेल्ट विकसित किए जाते हैं। एवेन्यू वृक्षारोपण, ओबी डंपों पर वृक्षारोपण, खानों में और उसके आसपास वृक्षारोपण, आवासीय कालोनियों और उपलब्ध सरकारी भूमि में वृक्षारोपण मौजूदा और नई परियोजनाओं में भी किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, एमओईएफएंडसीसी द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने विभिन्न राज्यों में अवक्रमित वन भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए पहल शुरू की है।
- **पारिस्थितिकी पुनरूद्धारः** अशांत भूमि के प्रभावी जैव–पुनरूद्धार के लिए, तीन स्तरीय वृक्षारोपण अवधारणा पर वनीकरण के लिए पौधों की उपयुक्त प्रजातियों का चयन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। सीआईएल द्वारा पुनरूद्धारित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का आदान–प्रदान करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) को नियुक्त किया गया है। एफआरआई के तकनीकी सहयोग से सीआईएल की सहायक कंपनियों में कई पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन स्थलों का विकास किया गया है।
- **पुनरूद्धारित भूमि में इको–पार्कः** सीआईएल के कई खनित क्षेत्रों और कमान क्षेत्रों में इको पार्क विकसित किए गए हैं।

13.3 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

एससीसीएल वर्तमान में तेलंगाना राज्य के छह जिलों में फैली 17 ओपनकास्ट खानों और 22 भूमिगत खानों का परिचालन कर रही है। एससीसीएल पर्यावरण के प्रति जागरूक है और कोयला खानों में पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन में सक्रिय है।

कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में, एससीसीएल ने पर्यावरण नीति तैयार की है। पर्यावरण नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, योजना, निष्पादन और निगरानी प्रणालियों में एकरूपता लाने के लिए पर्यावरण प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं जिससे पर्यावरण की दृष्टि से सतत कोयला खनन कार्य सुनिश्चित हो सके। पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी खानों, विभागों और अन्य इकाइयों को पर्यावरण नीति, उद्देश्य और दिशा–निर्देश परिचालित किए गए थे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए एससीसीएल विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों, नियमों का अनुपालन कर रही है और पर्यावरणीय मानदंडों/शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक परियोजना पर पर्यावरण प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं। पर्यावरण संरक्षण और अनुपालन के अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरियों में निर्धारित शर्तें, परिचालन के लिए सहमति और अन्य सांविधिक मंजूरियों संबंधी रिपोर्टें समय–समय पर विनियामक एजेंसियों को प्रस्तुत की जा रही हैं। सीपीसीबी से मान्यता प्राप्त एनएबीएल द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला के माध्यम से कोयला खनन परियोजनाओं के आस–पास पर्यावरणीय निगरानी की जा रही है और प्रदूषण की रोकथाम संबंधी आवश्यक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

एससीसीएल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:

- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, एससीसीएल ने खानों में जल छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था और कोल हैंडलिंग संयंत्रों में मिस्ट स्प्रे की व्यवस्था की है।
- खान के अतिरिक्त जल को आस–पास के पानी की टंकियों में डिस्चार्ज किया जा रहा है और टैंकों की गाद निकालने का काम भी शुरू किया जाता है ताकि जल भंडारण क्षमता में वृद्धि की जा सके जिससे आस–पास के ग्रामीणों द्वारा वर्ष में दो फसलों को उगाने में मदद

मिलती है और भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

- ओपनकास्ट खानों में नॉन–इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक अपनाई जा रही है ताकि शोर और ब्लास्ट कंपन को नियंत्रित किया जा सके ।
- धूल दबाने और वृक्षारोपण जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसे डिस्चार्ज करने से पहले खान और कॉलोनी बहिस्रावों को अवशोषित किया जाता है।
- ओवरबर्डन डंप के उद्धार के लिए एससीसीएल जैविक इंजीनियरिंग तकनीकों को कार्यान्वित कर रही है। इन तकनीकों का उद्देश्य अपशिष्ट और अवक्रमित भूमि को संधारित पारिस्थितिकीय भू–आकृति में बदलना है जो मृदा अपरदन, जल निकायों की गाद, जल प्रदूषण, धूल प्रदूषण को भी रोकेगी और पर्यावरण के सौंदर्य को फिर से बढ़ाएगी।
- एससीसीएल अपनी स्वयं की नर्सरियों में बड़े पैमाने पर स्थानीय पौधों की प्रजातियों को उगा रही है ताकि वह वार्षिक आधार पर अपने सभी खनन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधरोपण कार्यक्रम शुरू कर सके।
- एससीसीएल, क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सीएसआर और डीएमएफटी के तहत धन आवंटित कर कोयला खनन क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक उपाय कर रही है।
- खान बंद करने की गतिविधियां कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित खान योजना और खान बंद करने की योजना के अनुसार शुरू की जा रही हैं।
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के दोहन के लिए अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में एससीसीएल चरणबद्ध तरीके से सभी खनन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर रही है।
- आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था, पार्कों और बगीचों का विकास, कॉलोनी और उसके आसपास ग्रीनबेल्ट, रूफ–टॉप सोलर पैनल आदि उपलब्ध कराकर एससीसीएल इको–फ्रेंडली कॉलोनियां भी विकसित कर रही है।

13.3. एनएलसी इंडिया लिमिटेड

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) 14 नवम्बर, 1956 को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 20 मई, 1957 को खान–I में खनन प्रचालनों का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। एनएलसी इंडिया लिमिटेड को अप्रैल, 2011 से **'नवरत्न'** का दर्जा दिया गया है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड की वर्तमान खनन क्षमता 30.1 एमटीपीए लिग्नाइट और 20 एमटीपीए कोयले की है तथा नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता 6071.06 मे.वा. है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड की सभी खानों एवं विद्युत स्टेशनों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएसएचएएस) के लिए **आईएसओ प्रमाणीकरण** प्राप्त है।

14. प्राधिकृत पूंजी

(i) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल):

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार सीआईएल के लिए प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 8000.00 करोड़ रुपये है और प्राधिकृत अधिमान्य शेयर पूंजी 904.18 करोड़ रुपये है।

पिछले पांच वर्षों की लाभप्रदता (आंकड़े लाख रुपये में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (सितंबर 2024 तक)
तिपोंग (यूजी)	(-) 6799.52	(-) 4533.74	(-) 3817.55	(-) 2244.22	(-) 1477.38	(-) 557.90
तिरप (ओसी)	(+) 29.19	(-) 10825.53	(-) 5906.58	(-) 5810.35	(-) 6608.39	(-) 3085.12

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (सितंबर 2024 तक)
टिकाक (ओसी)	(-) 8700.40	(-) 5587.24	(-) 4327.27	(+) 3009.78	(-)4321.27	(-) 2912.85
कुल	**(-) 15470.73**	**(-) 20946.51**	**(-) 20427.81**	**(-) 5044.79**	**(-) 12407.04**	**(-) 6555.87**
			प्रशासन व्यय (–) 4736.26 वर्कशॉप डेबिट (–) 708.37 बिक्री पर नुकसान (–) 931.78			

सीआईएल के पिछले पांच वित्तीय वर्षों की लाभप्रदता (समेकित)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (सितंबर 2024 तक)
कर पूर्व लाभ	24,071.32	18,009.24	23,616.28	43,274.60	48,812.61	22,300.58

(ii) एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल):

एनएलसी की प्राधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रुपए है तथा प्रदत्त इक्विटी 1,386.64 करोड़ रु.(बाई बैक–2018 के बाद) है। दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया गया निवेश निम्नानुसार है:

निवेश	(करोड़ रु.)
इक्विटी – भारत सरकार का हिस्सा:	1,001.16
भारत सरकार से ऋण (उपार्जित ब्याजसहित)	शून्य

(iii) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल): सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। अखिल भारत कुल उत्पादन में एससीसीएल का योगदान लगभग 7.5 प्रतिशत है।

15. उत्पादन निष्पादन (एनएलसी इंडिया लिमिटेड)

वर्ष 2024–25 के दौरान ओवरबर्डन रिमूवल, लिग्नाइट उत्पादन, सकल विद्युत उत्पादन और विद्युत निर्यात के आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

उत्पाद	इकाई	ब.अ. 2024–25	2023–24	2024–25 (नवंबर, 24 तक)		दिसंबर, 24 से मार्च, 2025 (प्रक्षेपण)
			जक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक (अनंतिम)	
ओवरबर्डन	एमएम$_3$	174.68	151.23	114.91	109.68	59.77
लिग्नाइट	एमटी	27.60	23.68	17.39	15.47	10.21
कोयला	एमटी	17.78	12.64	10.75	9.45	7.03

उत्पाद	इकाई	ब.अ. 2024–25	2023–24	2024–25 (नवंबर, 24 तक)		दिसंबर, 24 से मार्च, 2025 (प्रक्षेपण)
			जक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक (अनंतिम)	
पावर ग्रॉस'थर्मल)	एमयू	24,904.00	19,543.77	16,360.00	13,443.20	8,544.00
पावर ग्रॉस (आरई)	एमयू	2,399.50	2,100.09	1,605.41	1,433.18	794.09
कुल पावर ग्रॉस (एनएलसीआईएल)	एमयू	27,303.50	21,643.86	17,965.41	14,876.38	9,338.09
पावर एक्सपोर्ट (एनएलसीआईएल)	एमयू	24,453.00	18,890.07	16,145.12	12,980.76	8,307.88
पावर ग्रॉस'एनटीपीएल)	एमयू	7,446.00	5,462.34	4,927.00	3,754.28	2,519.00
पावर ,क्सपोर्ट'एनटीपीएल)	एमयू	7,055.00	5,068.11	4,668.00	3,475.68	2,387.00

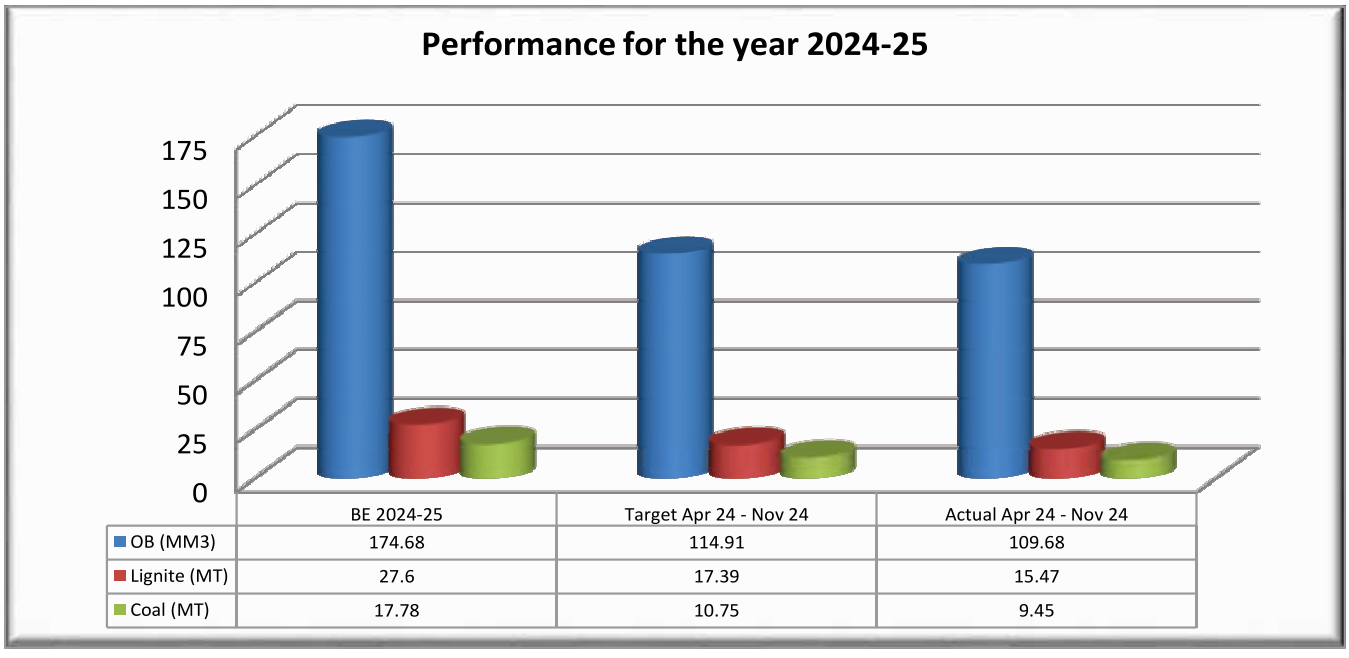

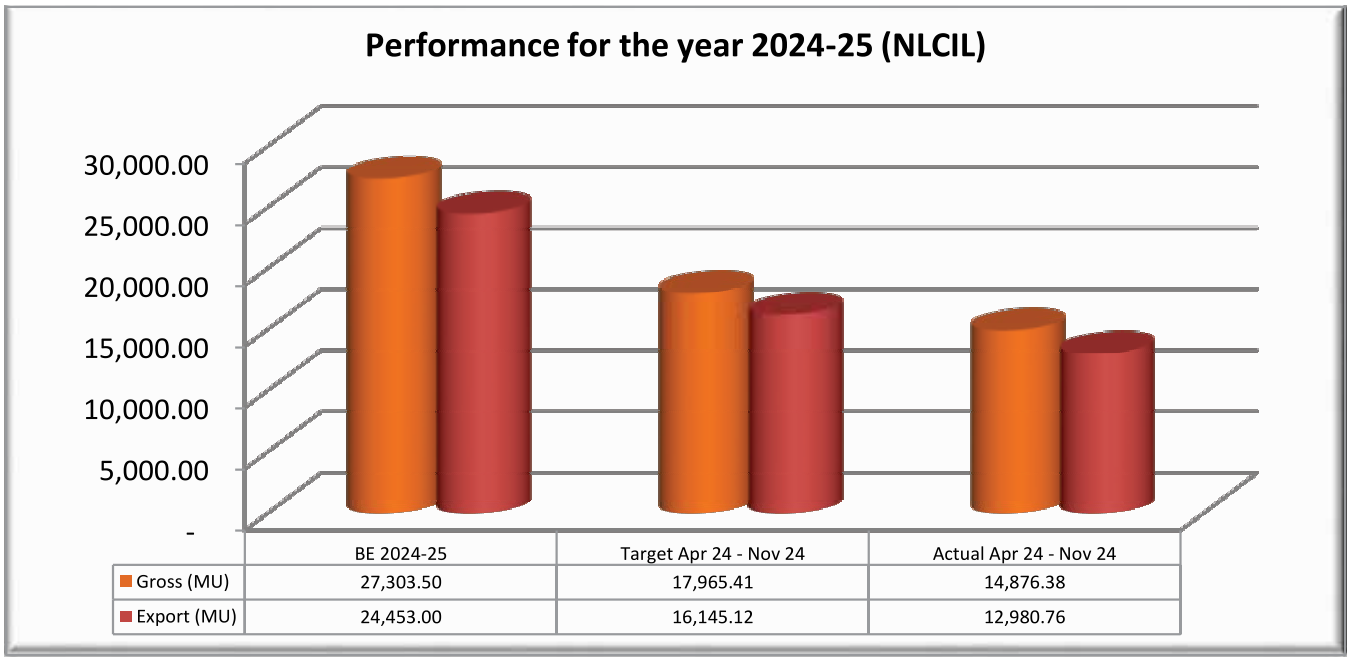

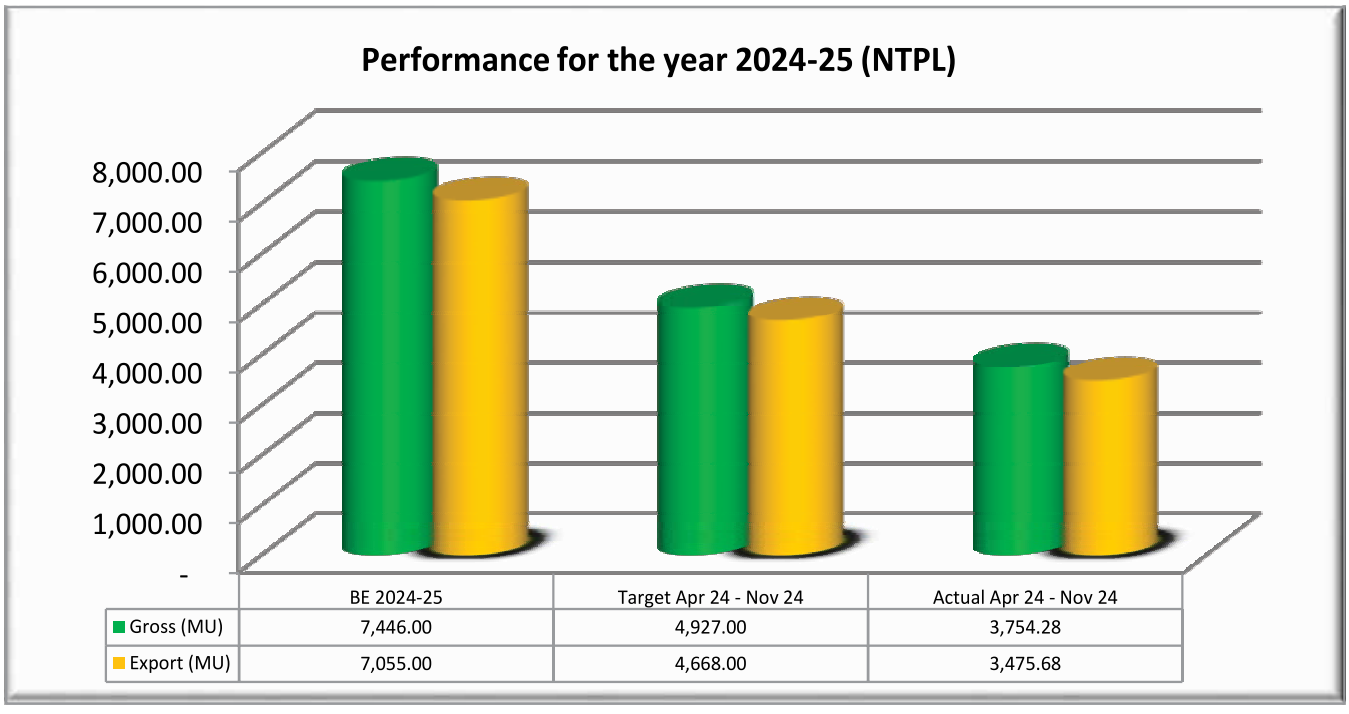

15.1. उत्पादकता:

वर्ष 2023–24 और 2024–25 में उत्पादकता निष्पादन नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस):

ओएमएस	इकाई	2023–24 वास्तविक	2024–25 (नवंबर, 24 तक)	
			लक्ष्य	वास्तविक (अनंतिम)
खानें	टन	17.33	18.30	16.95
तापीय	कि.वा./घंटा	36478	40484	38409

15.2 प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) –एनएलसीआईएल:

वर्ष 2023–24 और 2024–25 में उत्पादकता निष्पादन नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

पीएलएफ (% में)	2023–24 वास्तविक	2024–25 (नवंबर, 24 तक)	
		लक्ष्य	वास्तविक (अनंतिम)
टीपीएस–I ई	77.83	83.31	84.54
टीपीएस–II	44.55	80.78	55.77
टीपीएस–II ई	49.03	62.84	29.97
बरसिंगसर टीपीएस	77.05	76.37	77.62
एनएनटीपीपी	80.54	75.12	77.69
एनटीपीएल	62.19	84.14	64.11

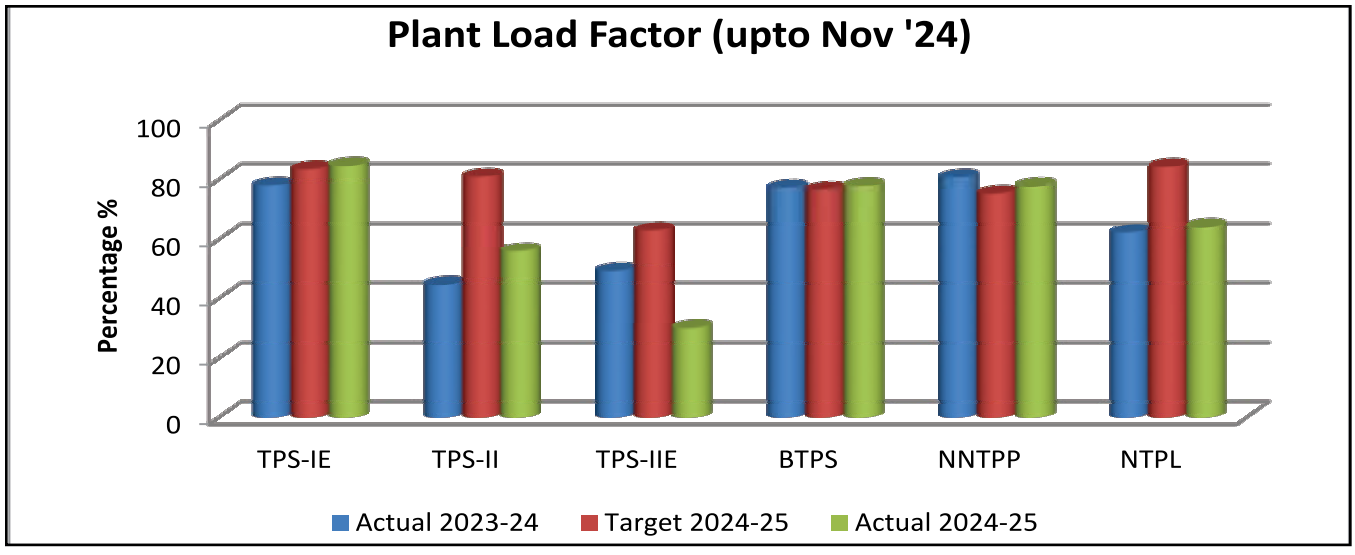

16. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम है जिसमें तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। एससीसीएल कुल अखिल भारत उत्पादन में लगभग 7.5% का योगदान दे रही है।

कोयला उत्पादनः

(मिलियन टन में)

2024–25 (अनंतिम) जनवरी – दिसंबर, 2024					
कंपनी	लक्ष्य (जनवरी–24 से दिसंबर–24)	वास्तविक	उपलब्धि%	जनवरी 23 से दिसंबर 23	वृद्धि
एससीसीएल	72.10	67.12	93.09	69.57	-3.52

कोयला प्रेषणः

(मिलियन टन में)

2024–25 (अंनतिम) जनवरी – दिसंबर, 2024					
कंपनी	लक्ष्य (जनवरी–24 से दिसंबर–24)	वास्तविक	उपलब्धि %	जनवरी 23 से दिसंबर 23	वृद्धि
एससीसीएल	71.30	65.03	91.21	70.50	-7.76

क्षेत्र–वार प्रेषण– एससीसीएल

(मिलियन टन में)

क्षेत्र	जनवरी 23 से दिसंबर 23	जनवरी 24 से दिसंबर 24	वृद्धि%
विद्युत	60.11	58.89	-2.03
कैप्टिव विद्युत	3.17	1.55	-51.10
मेजर सीमेंट	2.93	1.41	-51.88
स्पॉन्ज आयरन	0.38	0.22	-42.11

क्षेत्र	जनवरी 23 से दिसंबर 23	जनवरी 24 से दिसंबर 24	वृद्धि%
हैवी वॉटर प्लांट	0.54	0.50	-7.41
ई–नीलामी	0.83	0.49	-40.96
अन्य	2.54	1.97	-22.44
कुल	**70.50**	**65.03**	**-7.76**

उत्पादकता (ओएमएस) : चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए उत्पादकता लक्ष्य (समग्र खानें) निम्नानुसार है:–

(मिलियन टन में)

वर्ष	सिंगरनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड		
	यूजी	ओसी	समग्र
2023-24	1.19	13.24	5.42
2024-25 **(दिसंबर तक)**	0.98	13.24	5.25

जनशक्ति : दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल में 1878 महिला कर्मचारियों सहित 40,839 कर्मचारी हैं।

सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट: वर्तमान में, 2X600 मे.वा. सिंगरैनी थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना के मंचेरियल जिले में प्रचालनरत है। वर्ष 2024 (जनवरी से दिसंबर) तक 7986 एमयू विद्युत का उत्पादन किया गया। अन्य तापीय विद्युत संयंत्र (1X800 मे.वा.) की स्थापना निविदा प्रक्रिया में है।

सौर विद्युत संयंत्र: एससीसीएल ने 532 मे.वा. क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इनमें से 245.50 मे.वा. चालू हो चुकी हैं। शेष निविदा प्रक्रिया में है।

एससीसीएल में रोजगार के अवसर: एससीसीएल द्वारा बाह्य और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से रिक्तियों को भरने हेतु व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। तेलंगाना राज्य गठन के बाद एससीसीएल ने दिसंबर 2024 तक बाहरी भर्ती के माध्यम से 4,790 व्यक्तियों सहित 21,993 को रोजगार प्रदान किया।

वर्ष 2024 के दौरान, कुल 599 पदों के लिए सीबीटी के माध्यम से (कार्यकारी और गैर–कार्यकारी) परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

पौधारोपण: सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम ''हरिथा हरम'' के तहत, एससीसीएल खनित क्षेत्र, ओबी डंप, अन्य क्षेत्रों और बाहरी लीज़होल्ड क्षेत्र में पौधरोपण कर रही है।

वर्ष 2024 के नवंबर माह तक 551 हेक्टेयर में 15.20 लाख (4.43 लाख निःशुल्क वितरण सहित) पौधे लगाए गए हैं।

एससीसीएल में 1984 से अब तक (1984 –2024) 5.47 करोड़ पौधों के साथ 15,231 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। लगभग 2.29 करोड़ पौधे लोगों को वितरित किए गए।

कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को उचित महत्व दिया जाता है और विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों अर्थात प्रचलन में आवास एवं स्वच्छता, शिक्षा, मनोविनोद, सुपर स्पेशलिटी सेवाओं सहित चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को जारी रखा जा रहा है।

एससीसीएल की कल्याण गतिविधियों का सारांश निम्नलिखित है:

तेलंगाना राज्य के गठन के बाद, सिंगरेनी के कर्मचारियों को दिया जाने वाला लाभ हिस्सा 18% से बढ़कर 33% हो गया है। इससे 2014 से 2024 तक श्रमिकों को कुल 3583.94 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। तेलंगाना सरकार ने एससीसीएल कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है।

अनुकंपा रोजगार योजना के सरलीकरण के कारण, तेलंगाना राज्य के गठन के बाद दिसंबर 2024 तक कुल 17,203 कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं और बाहरी भर्ती के माध्यम से 4,790 व्यक्तियों को नियोजित किया गया है।

2024 के दौरान, कुल 599 पदों के लिए सीबीटी के माध्यम से (कार्यकारी और गैर–कार्यकारी) परीक्षाएं आयोजित की जा

रही हैं। 599 पदों में से 401 व्यक्तियों की भर्ती पूरी कर ली गई थी और शेष की प्रक्रिया चल रही है।

एससीसीएल ने अपने पात्र कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का ब्याज मुक्त आवास ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है।

अगस्त, 2014 से प्रति माह कुल 59,845 कर्मचारियों को 5.04 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के साथ तेलंगाना वेतन वृद्धि का भुगतान किया गया।

कर्मचारियों के घरों में वातानुकूलित कनेक्शन की सुविधा चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2023–24 के लिए निष्पादन लिंक्ड रिवॉर्ड योजना के तहत कर्मचारियों को 93,500 रुपये का भुगतान किया गया है। फेस्टिवल एडवांस को 2014 में 10,000/– रुपये से बढ़ाकर 2024 में 25,000 रुपये कर दिया गया है।

सेवानिवृत्त कामगारों और उनके पति/पत्नी के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा देखभाल योजना कार्यान्वित की जा रही है। कर्मचारियों के माता–पिता को कॉर्पोरेट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गईं।

महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है और इसे 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया जाता है।

आश्रित रोजगार या मासिक मौद्रिक मुआवजे (एमएमसी) के बदले एकमुश्त राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई।

आईआईटी/आईआईएम में पढ़ रहे कामगारों के बच्चों के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को सवेतन अवकाश घोषित। सिंगरेनी कर्मचारियों के लिए संक्रांति/रमजान (ईद–उल–फितर)/क्रिसमस के अवसर पर वैकल्पिक भुगतान अवकाश घोषित।

कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को उचित महत्व दिया जाता है और विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों जैसे आवास और स्वच्छता, शैक्षिक, मनोरंजन, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के साथ चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो प्रचलित थीं, को जारी रखा जा रहा है।

आवास : समग्र आवास संतुष्टि 100% है।

शिक्षा : कंपनी कर्मचारियों के बच्चों और साथ ही अन्य नजदीकी निवासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 9 हाई स्कूल, 1 महिला पीजी एवं डिग्री कॉलेज और 1 पोलीटेक्नीक कॉलेज चला रही है। इसके अतिरिक्त निःशक्त छात्रों के लिए 03 स्कूलों को वित्तीय सहायता दी गई है।

पेयजलः कर्मचारियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्यालयों, खानों, अस्पतालों, गेस्टहाऊसों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि में आरओ प्यूरीफीकेशन संयंत्रों को स्थापित किया गया है।

योगा और मनोविनोदः पूरे वर्ष योगा और मेडिटेशन कैंपों का व्यापक रूप से आयोजन किया जा रहा है। कर्मचारियों को खेल सुविधाएं एवं अपेक्षित अवसंरचना प्रदान की गई है और खेलों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया है।

सेवानिवृत्त कामगार और उनके विवाहिती के लिए **अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।**

सामाजिक सुरक्षा स्कीमें: सामाजिक सुरक्षा स्कीमें अर्थात् जनता कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना (जेपीएआईएस), परिवार लाभ बीमा योजना (एफबीआईएस), समूह बीमा योजना, कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस) और अंशदायी सेवानिवृत्ति बाद मेडिकेयर योजना कार्यान्वित की जा रही है।

अनुकम्पा के आधार पर रोजगारः उन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया गया जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान हो गई है या जो चिकित्सकीय रूप से अशक्त होते हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य : एससीसीएल के पास कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 821 बेड वाले 7 क्षेत्रीय अस्पताल और 21 औषधालय हैं। एससीसीएल प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक (इन–पेशेंट, आउट पेशेंट, निदानात्मक, मनोविकार संबंधी रोग) व्यावसायिक, रेफरल सेवाएं (हैदराबाद, करीम नगर, वारामल और खमम आदि में एससीसीएल के साथ पैनलबद्ध 75 सुपर स्पेशियलिटि अस्पताल) प्रदान कर रही है।

सहकारी समिति और बिक्री डिपो: खानों और विभागों में कार्यरत एससीसीएल के कामगारों को बचत की संस्कृति को समावित करने और ऋण प्राप्त करने के लिए पैसे उधार देने वालों के पास जाने वाले कर्मचारियों से बचने के दृष्टिकोण से 'कर्मचारी सहकारी ऋण सोसायटी' का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अन्य: निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

- कर्मचारियों के बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति।
- आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश पाने पर एनसीडब्ल्यूए के कर्मचारियों के बच्चों के लिए ट्यूशन–फी की प्रतिपूर्ति।
- निवल लाभ में से विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान।
- निष्पादन संबद्ध पुरस्कार स्कीम का भुगतान।
- त्यौहार पेशगी का भुगतान।
- एनसीडब्ल्यूए की महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश प्रदान करना।
- आवास निर्माण ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति स्कीम।
- कर्मचारियों को उनके घरों में एसी कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है।

प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

- एससीसीएल संयुक्त वार्ता में शामिल कर्मचारियों के प्रतिनिधि बनाकर प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को अपनाने में सबसे आगे है और उचित परामर्श के बाद निर्णय लिए जाते हैं।
- सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में 3 स्तरों अर्थात इकाई/खान, क्षेत्र और कंपनी स्तरों पर प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी की अवधारणा को बहुत पहले ही लागू कर दिया गया था, जिसके संतोषजनक परिणाम औद्योगिक शांति में सुधार और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों की स्थापना में सामने आए हैं।
- उपरोक्त के अलावा, एक 3 स्तरीय–शिकायत प्रक्रिया अर्थात इकाई स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और कंपनी स्तर पर–कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निर्धारित समय–सीमा में करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है।
- दिनांक 09.09.1998 को गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों के चुनाव कराने के बाद, औद्योगिक संबंधों के परिदृश्य में जबरदस्त सुधार हुआ है, जिससे अवैध हड़तालों की संख्या में बहुत कम दर से कमी हुई हैं और जो कंपनी का कायाकल्प करने में परिलक्षित हुआ है और ये यूनियन पिछले 26 वर्षों से लगातार मुनाफा कमा रहे हैं।

मांगों पर यूनियनों के साथ बातचीत में अपनाए गए सिद्धांत

- जेबीसीसीआई के दिशानिर्देश वेतन, भत्ते, सेवा शर्तों आदि के संबंध में किसी भी मुद्दे को तय करने के लिए बेंचमार्क हैं।
- सभी नियुक्तियां, पदोन्नति और स्थानांतरण स्पष्ट चिन्हित रिक्तियों के लि, हैं।
- वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से विकसित कार्य मानदंडों का कार्यान्वयन।
- अनुशासन, कार्य मानकों आदि को बना, रखने के लिए कानून के तहत प्रबंधन को प्राप्त सभी कानूनी अधिकारों को लागू करना।

ठेका कामगार

- ओबी रिमूवल को छोड़कर जो स्ट्रिपिंग अनुपात पर है, सभी आउटसोर्स नौकरियों के लिए यूनिट दर पर बाहरी एजेंसियों को ठेका देकर ओपनकास्ट खनन प्रचालन में ओवर बर्डन रिमूवल के अलावा नागरिक रखरखाव और मरम्मत कार्यों, हाउस कीपिंग, सुरक्षा, परिवहन, वृक्षारोपण और नर्सरी जैसी कुछ नॉन–कोर गतिविधियों, कम मूल्य वर्धित नौकरियों या आंतरायिक प्रकृति कार्यों को आउटसोर्स किया। ठेकेदार बदले में अपने कर्मचारियों को आउटसोर्स कार्यों को निष्पादित करने के लिए नियुक्त करते हैं।

- पहली बार, निष्पादन वर्ष 2023–24 के लिए 5000/– रु. की दर से व्यक्तियों को तेलंगाना सरकार के निर्देश पर 27,518 ठेका कामगारों को उनके ठेकेदार के माध्यम से लाभ बोनस साझा किया गया था।

भेदभाव–रहित

- एससीसीएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते सभी वैधानिक/संवैधानिक प्रावधानों, जेबीसीसीआई/एनसीडब्ल्यूए करारों के तहत प्रावधानों और सेवा शर्तों, वेतन एवं भत्तों तथा अन्य विशेषाधिकारों/कार्य स्थितियों के संबंध में पीआरसी का अनुपालन कर रही है। लिंग, जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाया गया है। स्थापना में कार्यरत सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है।

शिकायत प्रबंधन

- एससीसीएल कर्मचारी की वास्तविक शिकायतों का निपटान करने के लिए 3 चरणों अर्थात 1) खान/विभाग स्तर 2) क्षेत्रीय स्तर एवं 3) अपीलीय प्राधिकारी (निगमित) स्तर पर कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों के निवारण हेतु सुव्यवस्थित 'शिकायत निवारण प्रक्रिया' का अनुपालन कर रही है और प्रणाली सुचारू एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है तथा यह आईडी अधिनियम, 1947 की धारा–9ग के प्रावधानों के तहत यथा–आवश्यक संगठन में औद्योगिक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- शिकायत निवारण तंत्र व्यक्तिगत कर्मचारी से संबंधित मामलों और प्रबंधन के साथ सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मान्यता प्राप्त/प्रतिनिधियों की स्थिति ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाए जाने वाले सामान्य मामलों को छोड़कर प्रतिष्ठान के दिन–प्रतिदिन के कामकाज से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का निपटान करेगा।
- इसके अलावा, एससीसीएल कंपनी के प्रत्येक क्षेत्र में एक विनिर्दिष्ट तिथि पर व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों की शिकायत प्राप्त करने वाले निदेशक (पीएएंडडब्ल्यू) द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की एक नई पद्धति का भी अब अनुपालन कर रही है। (एससीसीएल के पास 3 क्षेत्र हैं जिनमें प्रत्येक क्षेत्र में 8 से 14 खानें हैं) और प्राप्त शिकायत पर संबंधित विभाग द्वारा शिकायत के निवारण की स्थिति पर प्रत्येक याचिकाकर्ता को लिखित में जवाब दिया गया है।